छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 1072/2007</u>

1. **श्री दीपक दुबे,** - *अपीलार्थी*
ओल्ड सायकिल फैक्ट्री के पास,
श्याम नगर, रविनगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय लोक सेवा आयोग,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 05 फरवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री दीपक दुबे द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय लोक सेवा आयोग के समक्ष दिनांक 29.06.2007 को जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था तथा उनके द्वारा माँगा गया शुल्क भी जमा कराया गया था, उन्हें दिनांक 24.07.2007 को जानकारी प्रदान की गई, किन्तु वह अपूर्ण जानकारी थी । अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मिलने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 28.07.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी बिना अपीलार्थी की सुनवाई किये दिनांक 25.08.2007 को आदेश प्रदान कर दिये, उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.11.2007 को आयोग के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में सहायक जन सूचना अधिकारी द्वारा अपने लिखित उत्तर एवं तर्क में यह बताया है कि अपीलार्थी को केवल कार्यालय में उपलब्ध सूचनायें ही प्रदान की जा सकती है और सूचनाओं का पुनः परीक्षण और विश्लेषण कर किसी नई सूचना का सृजन नही किया जा सकता है । जन सूचना अधिकारी का यह कथन सही है कि यदि आवेदन में इस प्रकार की कोई जानकारी चाही है तो वह सूचना दी जाना संभव नही है और ऐसी कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम में अपेक्षित भी नही है । प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश में कुछ बिन्दुओं पर जानकारी निःशुल्क देने का निर्देश थे, उक्त जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 30.08.2007 को प्रदाय कराना बताया गया है । जन सूचना अधिकारी ने कुछ जानकारी गोपनीय

मानकर और विशाल जनहित नही होने के कारण देना अस्वीकार किया है और इससे संबंधित प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण भी देने में असमर्थता बताई गई है, किन्तु अपीलार्थी का कहना है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश सूचना देने के संबंध में नही दिया गया है, अत: उसका आधार नही लिया जा सकता है । उपरोक्त स्थिति में अपीलार्थी का उक्त तर्क उचित प्रतीत होता है, अत: यह निर्देश दिये जाते हैं जिन बिन्दुओं में पदोन्नति समिति का कार्य विवरण, ग्रेडिंग, गोपनीय चरित्रावली अथवा परीक्षा कार्य से संबंधित गोपनीयता आड़े आती है, उक्त जानकारी को छोडकर शेष समस्त जानकारी जो कार्यालय में उपलब्ध हो, उसको अपीलार्थी को 15 दिवस में नि:शुल्क निरीक्षण कराया जावे और उसके बाद उसमें से जो भी जानकारी वह चाहे, उसकी प्रतियॉं नि:शुल्क प्रदान की जावे । आवेदक द्वारा आवेदन में कई प्रश्न पूछे गये हैं, उनका उत्तर देना आवश्यक एवं अपेक्षित नही है, किन्तु इससे संबंधित यदि कोई नोटशीट अथवा अन्य कोई अभिलेख उपलब्ध हो तो, उसकी प्रति प्रदाय की जा सकती है । इसी प्रकार इससे संबंधित यदि नियम/निर्देश की प्रति उपलब्ध हो तो वह भी उन्हें प्रदाय की जा सकती है । प्रकरण में चूंकि कोई दुर्भावना नही है, अत: किसी प्रकार की शास्ति की कार्यवाही किया जाना आवश्यक नही है ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त